

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

प्र. सं. 12/2022

गोंदावरी | NHAI

19.11.2025

पत्रावली देा हुई। प्राप्यिका व प्राप्यिका ककील अनुपस्थित।  
 बार-बार विधिकत अवले दिल्ली जाने पर भी  
 प्राप्यिका की ओर से कोई हलिर नही आया।  
 प्राप्यिका व प्राप्यिका आवेक्ता का न्यायालय समथ  
 तक उत्तर किया गया। लिहाला यह प्रकरण  
 प्राप्यिका फल अन्तर्गत धारा 36 सपक्ति धारा 31(4)  
 राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 प्राप्यिका एवं  
 प्राप्यिका व्यक्ति को अप्रम हलिर एवं अप्रम  
 पेशी में खरील किया जाल है। पत्रावली  
 फौजल शुमार ही।

जिला कलक्टर  
 भीलवाड़ा